न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/22/2025 रजू दिनांकः 24.02.2025 रजि0 न0 2025/34

अपीलार्थीः–

श्री प्रदीप गोयल पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश गोयल C/o मैसर्स श्रीराम इण्डस्ट्रीज, पुराना औद्योगिक क्षेत्र, अलवर –301001, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 15.04.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 14.01.2025 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहते है तो दिनांक 04.03.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2025/751 दिनांक 08.04.2025 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है, कि अपीलार्थी द्वारा अपील के माध्यम स सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत RTI Online Portal पर प्रस्तुत सूचना आवेदन कमांक 293061521927718 दिनांक 15.01.2025 दर्ज रजिस्टर कर, आवेदन के परिपेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 205 के विधिक प्रावधानो के आलोक में ऑनलाईन पत्र सं. 1351042315 दिनांक 07.03.2025 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर आवेदक को ऑनलाईन व डाक के माध्यम से भी सूचित किया जा चुका है। यहां यह उल्लेखनीय है कि संबंधित अनुभाग से प्राप्त सूचनानुसार अपील में वांछित अभिलेख लगभग 27 वर्ष पुराना अभिलेख होने के कारण काफी तलाश किए जाने उपरान्त भी उपलब्ध नहीं हो सका है, तथापि तलाशी में उपलब्ध होने पर अभिलेखानुसार व नियमानुसार सूचना प्रेषित कर दी जावेगी।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबध में ऑनलाईन पत्र सं. 1351042315 दिनांक 07.03.2025 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर आवेदक को ऑनलाईन व डाक के माध्यम से भी सूचित किया जा चुका है। तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील के संबंध में जरिये प्रतिलिपि कमांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2025/752 दिनांक 08.04.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में पुनः सूचना प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर * अलवर (राज0) *

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)